


28.11.17

~~NOT RECORDED
B. K. SINGH
(सहायक जज)~~

प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोर्ट कार्रवाई नहीं चाहते एवं शर्चना पत्र को नोट प्रेस किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में आगे कोर्ट कार्रवाई नहीं चाहते एवं प्रकरण को नोट प्रेस करने पर प्रकरण नोट प्रेस किया गया है पत्रावली नैसलाल शर्मा टोकरा कास कर्मात जास्ता सारियल दफ्तर से।



(सहायक जज)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर